

समयबद्ध/सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र सं०-स०नि०-विभागीय कार्य योजना प्रस्तुतीकरण/2023-24/

512

/राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सम्पत्ति अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 10 अक्टूबर, 2023

**अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर,
गोरखपुर, झोंसी, मुरादाबाद, कानपुर-प्रथम,
गाजियाबाद-प्रथम, बरेली, अयोध्या, सहारनपुर।**

शासन के पत्र संख्या-458/11-4-2023 दिनांक 05-10-2023 (**छायाप्रति संलग्न**) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की वृहद निर्माण कार्य सम्बन्धी 10 कार्ययोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग (भवन खण्ड) एवं दो अन्य कार्यदायी संस्थाओं का आगणन प्रस्ताव (जो लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित हो) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न पत्र दिनांक 05-10-2023 में अंकित तालिका के क्रमांक-8 पर उल्लिखित परियोजना को छोड़कर शेष कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग (भवन खण्ड) एवं दो अन्य कार्यदायी संस्थाओं का आगणन प्रस्ताव (जो लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित हो) मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(रिया केजरीवाल)

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक/उक्त।

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
2. उपायुक्त (प्रशासन)/सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कर्वी(चित्रकूट), सम्भल, उन्नाव, हापुड़, बरेली, श्रावस्ती, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त के माध्यम से अविलम्ब मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,
गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-४

लखनऊ : दिनांक १० अक्टूबर, २०२३

विषय- राज्य कर विभाग की वित्तीय वर्ष २०२३-२४ की वार्षिक कार्य योजना के सम्बंध में।
महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-सं०नि०-विभागीय कार्य योजना प्रस्तुतीकरण/२०२३-२४/१५५/राज्य कर दिनांक १८.०५.२०२३ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२. अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र दिनांक १८.०५.२०२३ के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राज्य कर विभाग की वित्तीय वर्ष २०२३-२४ की निम्नवत वार्षिक कार्य योजनाओ पर स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

नये कार्य (वृहद निर्माण कार्य):-

क्र०सं०	परियोजना का नाम
१	जनपद देवरिया में राज्य कर विभाग का मण्डल स्तरीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (भूमि उपलब्ध है)
२	सिद्धार्थनगर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
३	चित्रकूट में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
४	सम्भल में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
५	उन्नाव में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
६	हापुड़ में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
७	बरेली में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
८	जौनपुर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
९	श्रावस्ती में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)
१०	शामली में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण। (भूमि उपलब्ध है)

budget

51

10.10.23

भनोज

१० अक्टूबर २०२३

सं० आ (समन्त्र)

शुद्धे आपुस्त
११/१०/२३

२१९५

यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त तालिका के क्रमांक 08 पर उल्लिखित जौनपुर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा चुका है।

3. अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तालिका के क्रमांक 08 पर उल्लिखित परियोजना को छोड़कर शेष कार्ययोजनाओं के सम्बंध में लोक निर्माण विभाग (भवन खण्ड) एवं दो अन्य कार्यदायी संस्थाओं का आगणन प्रस्ताव (जो लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित हो) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।